

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक:: 22 अगस्त, 2025

समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर,

उत्तर प्रदेश ।

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक 2040-00-800-03-00 के मानक मद संख्या-04-यात्रा व्यय तथा 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में मुख्यालय द्वारा आपके कार्यालय को बजट आवंटन किया गया था । बजट के सापेक्ष व्यय की समीक्षा करने पर पाया गया कि कतिपय आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्राप्त बजट के सापेक्ष व्यय नहीं किया जा रहा है तथा कुछ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित मद में बजट की माँग की जा रही है । (सूची संलग्न)

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर प्राप्त समस्त यात्रा व्यय एवं स्थानान्तरण यात्रा व्यय से सम्बन्धित बिल का तत्काल निस्तारण करते हुए, आवश्यकता से अधिक बजट का तत्काल मुख्यालय समर्पित करने का कष्ट करें साथ ही साथ सूची में अंकित आहरण वितरण अधिकारियों से अनुरोध है कि आप द्वारा की गयी माँग के सापेक्ष आपको आवंटित धनराशि का पूर्ण व्यय ग्रपिंग व्यवस्था के अनुसार करते हुए, वास्तविक माँग करने का कष्ट करें, ताकि अन्य जनपदों से प्राप्त समर्पण के उपरान्त आपको बजट आवंटन की कार्यवाही की जा सके ।

संलग्नक:-यथोपरि ।

(अशोक कुमार सिंह)

प्र० अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर

उत्तर प्रदेश लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम, राज्य कर, उत्तर प्रदेश को आयुक्त महोदय के अवलोनार्थ ।
2. समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त संयुक्त आयुक्त(कार्य०)राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
4. संयुक्त आयुक्त(आई०टी०)राज्य कर, उत्तर प्रदेश को अपलोड किये जाने हेतु ।

(अशोक कुमार सिंह)

प्र० अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर

उत्तर प्रदेश लखनऊ

